न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— करतार सिंह पूनीया आर.ए.एस.

अपील संख्या 2017/00078 (202/2017) 225 आरटीएक्ट

राधेश्याम पुत्र श्री प्रेमराज जाति कुम्हार निवासी मम्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ। —अपीलांट/अप्रार्थी सं0 1

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुखराम जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ। —अपीलाण्ट/प्रार्थी
2. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ। तहसील व जिला हनुमानगढ —रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थी सं0 2
3.

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 18.05.2017 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ अनवान सुरेन्द्र कुमार बनाम राधेश्याम आदि प्र0 सं0 37/2017

श्री राजेन्द्र निमिवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री सोमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

श्री रविन्द्र भोभिया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2

निर्णय दिनांकः— 25.02.21

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायला के समक्ष एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 ''ए'' राजस्थान काश्तकार अधिनियम में पेश किया जिसमें कथन किया कि उसकी नाम चक 5 केएनजे में कुल 7.843 है0 भूमि में बहिससा बराबर 1/5 हिस्सा एवं 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त रकबा में पत्थर नंबर 109/269 के किला नं. 8, 9,10,11,12,13,18,19,20 भूमि बंटवारा में मिली होना बताया। प्रार्थी ने अपनी भूमि में आवागमन हेतु प. नं. 109/269 के लिा नं. 6 व 7 के दक्षिणी छोर के पूर्व पश्चिम में रास्ता उपलब्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

होना व रास्ता चालू रहना बताया। अपनी भूमि में आवागमन हेतु इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही होने के कारण उक्त रास्ते को स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया एवं अपीलाधीन निर्णय के द्वारा रास्ता स्वीकृत किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट को कभी भी नोटिस नहीं दिया गया। पत्रावली कैम्प मक्कासर में रखते हुए अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अपीलाण्ट को जवाबदेही का अवसर नहीं दिया गया है। मौके पर अपीलाण्ट की फसल काश्त की है। प्रश्नगत आराजी जिस पर रास्ता स्वीकृत किया गया है वह अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि है और उस पर फसल काश्त की हुई है। प्रश्नगत रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा है। विधि अनुसार दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही विधि सम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध, एकपक्षीय, अनुचत एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने कथन कियाकिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर समस्त तथ्यों का अवलोकन प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया है। रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसका सशपथ खण्डन नहीं होने तथा पत्रावली का निस्तारण गुणावगुण पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:11 IST
Reason: SelfAttested

Lanio
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

8. जहां तक गुणागुवण का प्रश्न है अपीलाण्ट का कथन है कि रास्ता स्वीकृत करने पूर्व अधीनस्थ न्यायालय में उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया एवं सनुवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलाण्ट के उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से से होती है जिसके अनुसार प्रकरण दिनांक 02.03.2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब करने के आदेश दिये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उसके बाद दिनांक 18.05.2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प में प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है, जिसमें अप्रार्थीगण के तलबी होने के संबंध में कोई अंकन नहीं है। विधि अनुसार दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही निर्णय पारित करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आदेश अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय रूप से पारित किया हुआ होने के कारण यथावत रखे जाने योग्य नही है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रश्नगत विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर तथा नियम 69 की पालना करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karlar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:11 IST
Reason: SelfAttested

(करण सिंह पूनिया आरएएस)
अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ़